न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 88,188,92ए आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :– 404/19

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 प्रेमाराम पुत्र बगताराम 2. शंकरलाल पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी खीचड़ों की ढाणी पड़ियाल तहसील फलौदी जिला जोधपुर (राज.)		1. पांचाराम पुत्र बगताराम 2. मोहनराम पुत्र बगताराम 3. गवरी पत्नि बगताराम जाति – विश्नोई निवासी– खीचड़ों की ढ़ाणी पड़ियाल तहसील – फलौदी 4. पिचू पुत्री बगताराम पत्नि मोहनराम जाति – विश्नोई निवासी – खारा 5. शांति पुत्री बगताराम पत्नि खमूराम जाति – विश्नोई निवासी – रणीसर 6. बरजू पुत्री बगताराम पत्नि भैराराम जाति – विश्नोई निवासी – रणीसर 7. सुगनी पुत्री बगताराम पत्नि गणपतराम जाति – विश्नोई निवासी – खारा 8. एलची पुत्री बगताराम पत्नि नैनाराम जाति – विश्नोई निवासी – रणीसर 9. कलावती पुत्री बगताराम पत्नि बीरबलराम जाति – विश्नोई निवासी – रणीसर 10. दोपी पुत्री बगताराम पत्नि माणकराम जाति – विश्नोई निवासी – पलीना तहसील – फलौदी जिला – जोधपुर (राजस्थान)

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री सुमेर सिंह चौहान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक :–29/07/2019**

वादी ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खीचड़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का पड़ियाल तहसील फलौदी में ख.न. 695 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 की संयुक्त खतेदारी अधिकारों की स्थिति

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलौदी

Scanned by CamScanner

है। उक्त भूमि पूर्व में देराज, खींया व वादीगण के पिता बगता पुत्रगण केशराराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। खातेदार देराज व खींया ने दिनांक 10.08.1999 को वादग्रस्त काश्त भूमि में अपनी 2/3 हिस्सा सम्पूर्ण भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के विक्रय कर दी जिसका नामान्तरकरण सं. 936 ग्राम पड़ियाल वादीगण के नाम स्वीकृत किया जाकर संवत 2055 से 2058 की जमाबंदी में अंकन किया गया। वादीगण देराज व खींया से क्रयशुदा 2/3 हिस्सा वादग्रस्त काश्त भूमि में घोषित करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त काश्त भूमि तत्पश्चात वादीगण के नाम 2/3 हिस्सा व वादीगण के पिता बगताराम के 1/3 हिस्सा के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चलती रही। वादीगण के पिता बगताराम का देहान्त होने पर नामान्तरकरण सं. 980 ग्राम पड़ियाल विरासत स्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम अन्य ख.न. 218 व 217 सहित स्वीकृत किया गया जिसमें वादीगण का पूर्ववर्ती 2/3 हिस्सा खरीदसुदा होने के बावजूद उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि में वादीगण का 2/3 हिस्सा अलग से रखकर वादीगण के पिता बगताराम के 1/3 हिस्सा में वादीगण का संयुक्त हिस्सा रखा जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण से मिलावट कर नामान्तरकरण सं. 980 के जरिये सम्पूर्ण भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बराबर हक हिस्सा अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत कर गलत दर्ज कर दी। वादीगण नामान्तरकरण सं. 980 को अपने वादग्रस्त ख.न. 695 की हद तक खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य होने से निरस्त करवाने एवं वादग्रस्त काश्त भूमि में अपना 2/3 हिस्सा पूर्व से खरीदसुदा एवं अपने पिता बगताराम के देहान्त पश्चात उनके 1/3 हिस्सा में वादीगण का 1/18–1/18 हिस्सा होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त काश्त भूमि में वादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा क्रयशुदा व अपने पिता बगताराम के 1/3 हिस्सा विरासत में प्राप्त कुल रकबा का 13/36 हिस्सा है। इसी प्रकार वादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा क्रयशुदा व अपने पिता बगताराम के 1/3 हिस्सा विरासत में प्राप्त कुल रकबा का 13/36 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण का बगताराम के 1/3 हिस्से में से विरासत में प्राप्त कुल 10/36 हिस्सा है। इसी हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त काश्त भूमि पर अपने अधिकार स्वरूप कब्जा काश्त में चले आ रहे है। वादी स. 1 अपने 13/36 हिस्सा और वादी सं. 2 अपने 13/36 हिस्सा भूमि का वक्त क्रय एवं पिता बगताराम से विरासत में प्राप्त होने से लेकर आज रोज तक कब्जा काश्त में चले आ रहे है और अपने–अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर फसल एवं प्राकृतिक पैदावार प्राप्त करते आ रहे हैं। वादग्रस्त काश्त भूमि में वादी सं. 1 अपना 13/36 हिस्सा व वादी सं. 2 अपना 13/36 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है तदनुसार प्रतिवादीगण का 10/36 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है तदनुसार प्रतिवादीगण का 10/36 हिस्सा घोषित करवाने के वादीगण जायज एवं कानूनन अधिकारी है। दिनांक 21.03.2019 को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त काश्त भूमि में वादीगण का 1/12–1/12 हिस्सा ही होने का कहते हुए उससे ज्यादा हिस्से की भूमि का कब्जा छोड़ने की वादीगण को धमकी दी जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है प्रतिवादीगण संख्या में अधिक व बलशाली है ये सभी मिलकर वादीगण को उनके क्रयशुदा 1/3–1/3 हिस्से की भूमि से बलपूर्वक बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन व क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नहीं हो पायेगी इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के जायज

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

एवं कानूनी अधिकारी है। व्यवहारकरण नामान्तरकरण सं. 980 ख.न. 695 का गलत रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के समान हिस्सा के रूप में स्वीकृत होने और दिनांक 21.03.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त काश्त भूमि में वादीगण के क्रयशुदा 1/3–1/3 हिस्सा से बलपूर्वक बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम ग्राम खीचड़ों की ढ़ाणी तहसील फलौदी में पैदा होता है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते तामिल सम्मन जारी किया गया। पेशी दिनांक 02.05.2019 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण को भेजे सम्मन कि डॉक रजिस्टर्ड रसीद पेश कि। न्यायालय हाजा द्वारा तीन पेशी तक प्रतिवादी का इन्तजार किया गया लेकिन प्रतिवादी कि ओर से कोई उपस्थित नही हुआ अतः पेशी दिनांक 20.06.2019 को न्यायालय समय के दौरान बार–बार रूक–रूक प्रतिवादीगण को आवाजे लगवाई गई लेकिन प्रतिवादी कि ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई व पत्रावली को वास्ते वादी साक्ष्य रखा गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा वास्ते वादी साक्ष्य वादी शंकरलाल पुत्र बगताराम के बयान कलमबद्ध किए गए। प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के कारण प्रतिवादी साक्ष्य की आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली को वास्ते बहस रखा गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस सुनाई गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम खीचड़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का पड़ियाल तहसील फलौदी में ख.न. 695 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 की संयुक्त खतेदारी अधिकारों की स्थिति है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में देराज, खींया व वादीगण के पिता बगता पुत्रगण केशराराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। खातेदार देराज व खींया वादग्रस्त काश्त भूमि में अपनी 2/3 हिस्सा सम्पूर्ण भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के विक्रय कर दी जिसका नामान्तरकरण सं. 936 ग्राम पड़ियाल वादीगण के नाम स्वीकृत किया जाकर संवत 2055 से 2058 की जमाबंदी में अंकन किया गया। वादीगण के पिता बगताराम का देहान्त होने पर नामान्तरकरण सं. 980 ग्राम पड़ियाल विरासत स्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम अन्य ख.न. 218 व 217 सहित स्वीकृत किया गया जिसमें वादीगण का पूर्ववर्ती 2/3 हिस्सा खरीदसुदा होने के बावजूद वादग्रस्त काश्त भूमि में वादीगण का 2/3 हिस्सा अलग से न रखा जाकर नामान्तरकरण सं. 980 के जरिये सम्पूर्ण भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बराबर हक हिस्सा अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत कर गलत दर्ज कर दी। वादीगण नामान्तरकरण सं. 980 को अपने वादग्रस्त ख.न. 695 की हद तक खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य होने से निरस्त करवाने एवं वादग्रस्त काश्त भूमि में अपना 2/3 हिस्सा पूर्व से खरीदसुदा एवं अपने पिता बगताराम के देहान्त पश्चात उनके 1/3 हिस्सा में वादीगण का 1/18–1/18 हिस्सा होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त काश्त भूमि में वादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा क्रयशुदा व अपने पिता बगताराम के 1/3 हिस्सा विरासत में प्राप्त कुल रकबा का 13/36 हिस्सा है इसी प्रकार वादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा क्रयशुदा व अपने पिता बगताराम के 1/3 हिस्सा विरासत में प्राप्त कुल रकबा का 13/36 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण का बगताराम के 1/3 हिस्से में से विरासत में प्राप्त कुल 10/36 हिस्सा है। अतः ग्राम खीचड़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का पड़ियाल तहसील

सहायक कलेक्टर एवं ... तालुक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलौदी

Scanned by CamScanner

फलौदी स्थित ख.न. 695 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि में वादी सं. 1 का 13/36 हिस्सा, वादी सं. 2 का 13/36 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 10/36 हिस्सा घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के आदेश फरमावे।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया बाद मनन व अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम खीचड़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का पड़ियाल तहसील फलौदी में ख.न. 695 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 की संयुक्त खतेदारी अधिकारों की स्थिति है। नामान्तरकरण सं. 980 ग्राम पड़ियाल विरासत स्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम अन्य ख.न. 218 व 217 सहित स्वीकृत किया गया जिसमें वादीगण का पूर्ववर्ती 2/3 हिस्सा खरीदसुदा होने के बावजूद वादग्रस्त काश्त भूमि में वादीगण का 2/3 हिस्सा अलग से न रखा जाकर नामान्तरकरण सं. 980 के जरिये सम्पूर्ण भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बराबर हक हिस्सा अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत कर गलत पारित करवा लिया गया जो कि सही नही है। अतः ग्राम खीचड़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का पड़ियाल तहसील फलौदी स्थित ख.न. 695 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि में वादी सं. 1 का 13/36 हिस्सा, वादी सं. 2 का 13/36 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 10/36 हिस्सा घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिए जाते है।

—: आदेश :—

वाद वादीगण का स्वीकार किंया जाकर ग्राम खीचड़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का पड़ियाल तहसील फलौदी स्थित ख.न. 695 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि में वादी सं. 1 का 13/36 हिस्सा, वादी सं. 2 का 13/36 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 10/36 हिस्सा घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2019 को मेरे निर्देशन में टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) फलौदी

Scanned by CamScanner